



झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./12/18 - /01

,राँची/दिनांक: 18/10/2018

पारा-मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 (Para-Medical Entrance Competitive Examination - 2018) के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

दिनांक-15.07.2018 को आयोजित पारा-मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 का परीक्षाफल दिनांक-24.08.2018 को पर्षद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Result कॉलम में जारी किया जा चुका है। परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा का नाम चुनकर, दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाफल अधभारित (Download) किया जा सकता है।

2. उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र भरने से संबंधित सूचना के विज्ञापन (संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./12/18 - 21 दिनांक-22.05.2018) की कंडिका- 6 के आलोक में इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम के लिये दोनों समूहों यथा पी0सी0एम0 एवं पी0सी0बी0, को मिलाकर पी0सी0एम0बी0 संयुक्त मेधा-सूची तैयार की गई है जिससे अभ्यर्थियों को उनके मेधा-सह- ईच्छा के आधार पर पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा। ड्रेसर एवं अन्य पारा-मेडिकल पाठ्यक्रम यथा Dental Chair Side Assistant में आवंटन मैट्रिक स्तरीय मेधा सूची से की जायेगी। संस्थानवार/पाठ्यक्रमवार/कोटिवार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर संस्थान/ पाठ्यक्रम/सीट का चयन नहीं किये हैं।

3. प्रथम साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व आवंटित संस्थान /पाठ्यक्रम /सीट के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन-कौन से मूल प्रमाण-पत्र रखे गये हैं तथा संस्थान में जमा किये गये प्रमाण-पत्रों की छाया-प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा संस्थान /पाठ्यक्रम/सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया-प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. साक्षात्कार हेतु कंडिका-10 के अनुसार बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन किया जायेगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, (ख) इण्टरमीडिएट साईंस/10+2/ समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (ट्रेसर एवं अन्य पारा-मेडिकल पाठ्यक्रम यथा Dental Chair Side Assistant के लिये इसे लागू नहीं समझा जाय), (ग) पारा-मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 का प्रवेश-पत्र (Admit Card) [यदि प्रवेश-पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति], (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 - 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0-14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का0-4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, (ङ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का0-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा, एवं (च) दिव्यांग अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प-2249 दिनांक 03.04.2018 के विहित प्रपत्र में चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पुराने एवं अन्य प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्णित स्थानीय निवासी एवं/या जाति प्रमाण-पत्र, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण-पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी एवं/या जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

नोट (a):- सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण-पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) मान्य नहीं होगा।

5. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक है।

6. साक्षात्कार शुल्क :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/- का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्सद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास ATM/Debit Card साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाइट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं० एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

नोट (b):- साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

8. साक्षात्कार स्थल :- झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. दिनांक-26.10.2018 को साक्षात्कार, पी०सी०एम०बी० की संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List of P.C.M.B.) तथा दिनांक-27.10.2018 को सामान्य मेधा-सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे पी०सी०एम०बी० की संयुक्त मेधा सूची/सामान्य मेधा सूची के अनुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे पी०सी०एम०बी० की संयुक्त मेधा सूची/सामान्य मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र अवश्य लावें।

10. पारा-मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा- 2018 के परीक्षाफल के आधार पर विभिन्न राजकीय एवं गैर-राजकीय पारा-मेडिकल संस्थानों के पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु, परीक्षा के लिये आवेदन पत्र

भरने से संबंधित सूचना के विज्ञापन (संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./12/18 - 21 दिनांक-22.05.2018) की कंडिका- 8 के आलोक में अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

द्वितीय साक्षात्कार का संचालन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

For I.Sc. Level Course

PH/Primitive Tribal Group Rank (दिव्यांग/आदिम जन-जाति समूह मेधाक्रमानुसार)				
Sl. No.	Category/Quota	Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1	PH	Candidates of all Disability Sub-Group		26.10.2018 / 10.00 AM
2	Primitive Tribal Group	All Primitive Tribal Group Candidates		

P.C.M.B. CML Rank (पी०सी०एम०बी० संयुक्त मेधा-सूची क्रमांक)		
Rank Range		Counselling Date & Time
From	To	
1	1,508	26.10.2018/10:30 AM

For Matric Level Course

PH/Primitive Tribal Group Rank (दिव्यांग/आदिम जन-जाति समूह मेधाक्रमानुसार)				
Sl. No.	Category/Quota	Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1	PH	Candidates of all Disability Sub-Group		27.10.2018 / 10.00 AM
2	Primitive Tribal Group	All Primitive Tribal Group Candidates		

CML Rank (सामान्य मेधा-सूची क्रमांक)		
Rank Range		Counselling Date & Time
From	To	
1	653	27.10.2018/10:30 AM

11. पी०सी०एम०बी० संयुक्त मेधा-सूची में दोनों समूहों यथा पी०सी०बी० एवं पी०सी०एम० के अभ्यर्थी मेधाक्रमानुसार शामिल हैं। पी०सी०एम०बी० संयुक्त मेधा-सूची में शामिल पी०सी०बी० तथा पी०सी०एम० समूह के अभ्यर्थियों को उनके समूह से संबंधित पाठ्यक्रम अंतर्गत सीट चयन करने का विकल्प दिया जायेगा एवं मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर नामांकन हेतु अनुशंसित किया जायेगा।

12. साक्षात्कार संबंधी अन्य आवश्यक निर्देश एवं सूचना :-

क) प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

ख) साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

ग) जिन अभ्यर्थियों के मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका-10 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञापित के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिए पर्सद उत्तरदायी नहीं होगा।

घ) साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधा क्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधा क्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

ङ) अभ्यर्थी द्वारा मेधा-सह-ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

च) किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

छ) साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु अधिकृत वेबसाईट और दूरभाष सं. 9264473891/9264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


(सुरेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०)
परीक्षा नियंत्रक